प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 15 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवीशरन उर्फ देवी जाटव पुत्र श्री दानसहाय, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-705/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-31-12-2024) दिनांक-07-01-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवीशरन उर्फ देवी जाटव पुत्र श्री दानसहाय, जो इकरी, थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। प्रथम घटना- पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28.07.1994 को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पौनियां, कुल्हाड़ी तथा तमंचा से मारकर राम सिंह, वीरपाल, मंगल सिंह उर्फ उदल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा श्रीमती लौंगश्री नामक महिला को घायल कर दिया। द्वितीय घटना- पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 01.05.2002 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दुनाली बन्दूक से गोली मारकर मलखान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी०नं०-1937/1994, भा०द०वि० की धारा-148, 302/149 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-08, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 05.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.08.2015 द्वारा निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। (2) एसटीन०-1466/2002, भा०द०वि० की धारा-147, 302/149 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश /फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०-01, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 05.04.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। प्रथम केस-जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 02.12.2024 तक अपरिहार 20 वर्ष, 08 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 08 माह 16 दिन की सजा भोगी गयी है तथा द्वितीय केस- जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 02.12.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 19 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित सपराध केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है अपराध से समाज को समग्र रूप से प्रभावित किया है, बन्दी के रिहा होने पर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ सकता है, दोनो पक्षों के मध्य पूर्व की रंजिश है, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम घटना-पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28.07.1994 को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पौनियां, कुल्हाड़ी तथा तमंचा से मारकर राम सिंह, वीरपाल, मंगल सिंह उर्फ उदल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा श्रीमती लौंगश्री नामक महिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

को घायल कर दिया व द्वितीय घटना पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 01.05.2002 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दुनाली बन्दूक से गोली मारकर मलखान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी देवीशरन उर्फ देवी जाटव पुत्र श्री दानसहाय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवीशरन उर्फ देवी जाटव (बन्दी संख्या-14259) पुत्र श्री दानसहाय, निवासी जनपद-अलीगढ़ को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-794/2025/91(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-794/2025/91/22-2-2025-17(100)/2025

दिनांक: 15 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवीशरन उर्फ देवी जाटव पुत्र श्री दानसहाय, जो इकरी, थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। प्रथम घटना- पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28.07.1994 को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पौनियां, कुल्हाड़ी तथा तमंचा से मारकर राम सिंह, वीरपाल, मंगल सिंह उर्फ उदल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा श्रीमती लौंगश्री नामक महिला को घायल कर दिया। द्वितीय घटना- पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 01.05.2002 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दुनाली बन्दूक से गोली मारकर मलखान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एस०टी०नं०-1937/1994, भा०द०वि० की धारा-148, 302/149 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-08, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 05.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.08.2015 द्वारा निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। (2) एसटीनं०-1466/2002, भा०द०वि० की धारा-147, 302/149 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश /फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०-01, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 05.04.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। प्रथम केस-जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 02.12.2024 तक अपरिहार 20 वर्ष, 08 माह, 01 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 08 माह 16 दिन की सजा भोगी गयी है तथा द्वितीय केस- जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 02.12.2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 16 वर्ष, 10 माह, 19 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित सपराध केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है अपराध से समाज को समग्र रूप से प्रभावित किया है, बन्दी के रिहा होने पर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ सकता है, दोनों पक्षों के मध्य पूर्व की रंजिश है, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में प्रथम घटना-पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28.07.1994 को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पौनियां, कुल्हाड़ी तथा तमंचा से मारकर राम सिंह, वीरपाल, मंगल सिंह उर्फ उदल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा श्रीमती लौंगश्री नामक महिला को घायल कर दिया व द्वितीय घटना पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 01.05.2002 को बन्दी ने अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दुनाली बन्दूक से गोली मारकर मलखान सिंह नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी देवीशरन उर्फ देवी जाटव पुत्र श्री दानसहाय को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in